Order Sheet (Subsequent)

[illegible] (आर.डी.एम.) जोधपुर CNR NUMBER 2023/67[?]

Number of Case P/371/ Year 2023[?]

मोती देवी व [illegible] Versus [illegible]

[illegible]

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of [illegible] of the Order
16/7/24	[illegible] को पेश हो। [illegible] 7/24	
25/07/24	पत्रावली पेश। वकुलाय उप./ प्रा. पत्र under 07 R11 CPC पर उभयपक्ष बहस सुनी गई। वास्ते आदेश प्रा. पत्र पत्रावली दिनांक 26/07/24 को पेश हो।	
	Prin[?] [illegible] जोधपुर[?]	
26/07/24	पत्रावली पेश। उभयपक्ष बहस पर [illegible] किया गया। मुताबिक बहस अधि. प्रार्थी- " section 80(b) CPC में Railway के पक्षकार होने पर वाद में क्या विधिक प्रक्रिया अपनानी है, के संबंध में प्रावधान है। प्रावधानानुसार Railway के विरुद्ध दावा पेश होने पर GM Railway को पक्षकार बनाया जावेगा। Railway GM को 02 माह पूर्व notice नहीं दिया गया है। प्रति. सं. 01 irrelevant पक्षकार है। अतः वाद barred by law है। विवादित भूमि पर Railway द्वारा bridge भी बनाया जा चुका है और प्रकरण मा. राज. उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्रा. पत्र स्वीकार कर वाद खारिज किया जावे।"	
	मुताबिक बहस अधि. अप्रार्थी- " दिनांक 26/09/19 को प्रति. को जरिए	

Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर CNR NUMBER 2023/673

Number of Case P/371/ Year 2023

सोनी देवी व अन्य Versus भारत संघ जरिये (सचिव) रेल्वे मंत्रालय व अन्य

अन्तर्गत धारा 188 RTA-1955

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
notice सूचित किया गया है। विभाग द्वारा दिनांक 30/07/18 को दायर जवाब में इसका objection नहीं किया गया है। प्रति: विवादित भूमि के recorded खातेदार नहीं है। प्रा: पत्र के साथ शपथ-पत्र संलग्न नहीं है। प्रा: पत्र में जो आधार उल्लेखित हैं, वो 07R11 के grounds में नहीं हैं। यह प्रा. पत्र केवल वाद को delay करने के उद्देश्य से पेश किया गया है। अतः वाद खारिज हो।"	
उपरोक्त तथ्यों, बहस के आधार पर प्रा. पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है - " As per section 80(2) CPC - in case of a suit against Central Govt. where it relates to railway, the GM of that Railway be made party." उपरोक्तानुसार GM, NWR को पक्षकार बनाया जाना था, जिसका अभाव पाया गया। चूंकि objection legal issue से संबंधित है, अतः शपथ-पत्र अनिवार्य नहीं है। As per 07R11 (d) - where the suit is barred by law. अतः प्रा: पत्र स्वीकार करते हुए वाद खारिज फरमाया जाता है। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल- शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो।"	
Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट